



2026:AHC-LKO:40663

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या- 4025 वर्ष 2026

रेखा गौतम

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ के माध्यम से

..... विरोधी पक्षकार(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : श्याम नारायण, मानस गौरव

विरोधी पक्षकार(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 11

माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत पूरक हलफनामे को अभिलेख पर ले लिया गया है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, श्री निखिल सिंह को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
3. यह जमानत प्रार्थना-पत्र आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 120/2026, धारा 191(2), 105, 352, 3(5) बीएनएस, पुलिस स्टेशन - ठाकुरगंज, जिला – लखनऊ में, उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है तथा वह 7.3.2026 से जेल में है। उन्होंने आगे कहा कि विचाराधीन घटना अचानक उकसावे के कारण घटी थी, हालांकि दोनों पक्ष करीबी रिश्तेदार हैं। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि आरोपपत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है और सह-आरोपी चांदनी, जिसकी भूमिका समान है, को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 22.5.2026 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 3646/2026 में पारित आदेश द्वारा जमानत पर रिहा किया जा चुका है। उन्होंने आगे कहा कि वह भविष्य में किसी भी अवैध गतिविधि में शामिल नहीं होगी। इन परिस्थितियों में, आवेदक जमानत की हकदार है। जमानत पर रिहा होने की स्थिति में, वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि आवेदक के बुलावे पर उसका पति मौके पर आया और झगड़ा हुआ, लेकिन वह इस तथ्य से इनकार नहीं करता कि सह-आरोपी चांदनी, जिसकी भूमिका समान है, को पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया गया है।

6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विरोधी दलीलों, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, प्रथम सूचना रिपोर्ट की सामग्री और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों पर विचार करते हुए, यह स्पष्ट है कि सह-आरोपी चांदनी, जिसकी भूमिका समान है, को पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, इसलिए मेरा मानना है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

7. आवेदक **रेखा गौतम** को उपरोक्त मामले में 20,000/- रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो विश्वसनीय जमानती पेश करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

- (i) आवेदक किसी ऐसे अपराध को न तो करेगा और न ही उसमें भाग लेगा जो उस अपराध के समान हो जिसका उस पर आरोप लगाया गया है या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।
- (ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
- (iii) आवेदक को यह वचन देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि पर सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन होने पर, अधीनस्थ न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।
- (iv) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से परीक्षण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, परीक्षण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-क भा०दं०सं०/269 भा०न्या०सं० के तहत कार्यवाही कर सकता है।
- (v) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, तो उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 दं०प्र०सं०/84 भा०न्या०सं० के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो परीक्षण न्यायालय उसके विरुद्ध कानून के अनुसार धारा 174-क भा०दं०सं०/209 भा०न्या०सं० के तहत कार्यवाही शुरू करेगा।
- (vi) आवेदक (1) मुकदमे की सुनवाई शुरू होने, (2) आरोप तय करने; और (3) धारा 313 दं०प्र०सं०/351 भा०ना०सु०सं० के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तारीखों पर परीक्षण

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि परीक्षण न्यायालय की राय में, आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना पर्याप्त कारण के है, तो परीक्षण न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकता है।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, जमानत रद्द करने का आधार होगा।

जून 9, 2026

गौरव/-

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।